भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2025

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

जोखिम विश्लेषण के माध्यम से संभावित रूप से अनुचित पाई गई कटौती/छूट दावों की स्वैच्छिक समीक्षा के लिए करदाताओं को प्रोत्साहित करने की पहल

यह देखा गया है कि कुछ करदाताओं ने उन कटौतियों या छूटों का लाभ उठाकर अनुचित प्रतिदाय का दावा किया है जिनके वे हकदार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप आय कम दिखाई गई है।

2. जोखिम प्रबंधन संरचना के तहत, और उन्नत डाटा विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से, निर्धारण वर्ष (एवाई) 2025-26 के मामलों की पहचान की गई है। इस संरचना में ऐसे मामले शामिल हैं जहां रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को मिथ्या दान और अन्य अनुचित कटौतियों या छूटों का दावा आयकर विवरणी (आईटीआर) में किया गया प्रतीत होता है। यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में, आदाता के गलत पैन या अविधिमान्य पैन उल्लिखित किए गए हैं। कुछ मामलों में दावा की गई कटौती या छूट की सीमा से संबंधित त्रुटियां भी पाई गई हैं।

3. "मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए डाटा का गैर-हस्तक्षेपकारी उपयोग (एनयूडीजीई)" अभियान के तहत चिन्हित करदाताओं से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संशोधित आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2025 को देखते हुए ऐसी त्रुटियों को सुधारें। यह पहल कर प्रशासन के प्रति विश्वास-प्रथम दृष्टिकोण

को दर्शाती है, जिसके तहत करदाताओं को अपने आयकर विवरणी (आईटीआर) की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो, किसी भी अनुचित दावे को स्वेच्छा से सुधारने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह अभियान डाटा विश्लेषण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक पारदर्शी, गैर-हस्तक्षेपकारी और करदाता-केंद्रित अनुपालन वातावरण को सक्षम बनाता है, जिसमें मार्गदर्शन और स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 21 लाख से अधिक करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए अपने आईटीआर को अपडेट कर लिया है और 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का कर भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, चालू निर्धारण वर्ष, यानी निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए 15 लाख से अधिक आईटीआर को संशोधित किया जा चुका है।

5. संबंधित करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने आईटीआर की समीक्षा करें, अपने कटौती और छूट के दावों की सत्यता की जांच करें और यदि आवश्यक हो, तो 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी विवरणी को संशोधित करें, जिससे इस मामले में आगे की जांच से बचा जा सके।

6. जिन करदाताओं के कटौती या छूट के दावे वास्तविक हैं और विधि के अनुसार सही ढंग से किए गए हैं, उन्हें आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि जो करदाता इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, वे विधि के तहत अनुज्ञा प्राप्त 1 जनवरी 2026 से अतिरिक्त कर देयता के भुगतान के अधीन अद्यतन विवरणी दाखिल कर सकते हैं।

(वी.रजिथा)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी